प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में कोल "इंडिया लिमिटेड एवं अनुषंगियों में खनन कार्यकलापों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव और उसके शमन के मूल्यांकन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं। विभिन्न पर्यावरणीय शमन नियमों एवं विनियमों के अनुपालन सहित खुली खदानों के साथ-साथ भूमिगत खदानों से कोयले के व्यापक स्तर पर उत्खनन के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रभाव का महत्व स्वीकार कर लिया गया जिसके लिए जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है कि कोयला खनन एक आर्थिक गतिविधि के रूप में सामाजिक रूप से उत्तरदायी और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय पद्धति से किया गया है जिसमें अपेक्षित पर्यावरणीय नियमों का ध्यान रखा गया है और उनकी अनुपालना भी की गई है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गयी है। खनन से उत्पन्न पर्यावरण के खतरों को कम करने और पर्यावरण नियमों से संबंधित विभिन्न वैधानिक अनुपालनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों की कमियों को इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर इस प्रतिवेदन में कई सिफारिशे की गईं हैं जो कोयला खदानों में बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन में सहायक सिद्ध होंगी। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी अनुषंगियों और कोयला मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभारी है।